प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक फरवरी, 2022**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्रूवमेन्ट प्रोजेक्ट हेतु ए0डी0बी0 से मिलने वाली सहायता हेतु अंशपूँजी के रूप में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिशासी निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-1803/अधि0नि0(वित्त)/वि0प्र0-2/आय-व्ययक-2021-22/407, दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्रूवमेन्ट प्रोजेक्ट हेतु ए0डी0बी0 से मिलने वाली सहायता हेतु अंशपूँजी के रूप में प्राविधानित धनराशि रूपये 600,00,00,000/- (रूपये छः सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 429,59,87,000/- (रूपये चार सौ उनतीस करोड़ उनसठ लाख सत्तासी हजार मात्र) में से धनराशि रूपये 22,55,52,231/- (रूपये बाइस करोड़ पचपन लाख बावन हजार दो सौ इकत्तीस मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण योजना को समय से पूर्ण कराये जाने हेतु किया जायेगा।

3- भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या- 437/6/1/ECI/INST/MCC/2022, दिनांक 08-01-2022 द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2022 की घोषणा के उपरान्त आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा वर्तमान में लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के दृष्टिगत उसके पूर्ण अनुपालन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का उललंघन न हो।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- उक्त प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

7- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-9 के लेखा शीर्षक-"4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-05-संचरण तथा वितरण-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-14-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्रूवमेन्ट प्रोजेक्ट हेतु ए0डी0बी0 से मिलने वाली सहायता हेतु अंशपूँजी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-3440-दस-2021-22, दिनांक 14 फरवरी, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

<u>संख्या- 26/2022/2037(1)/24-1-21, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ गार्ड बुक।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in